संख्या:260/2015/2042/35-4-2015

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
कन्नौज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 18 अगस्त,2015

विषय : वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में शासनादेश संख्या-233/2015/886/35-4-2015 दिनांक 16 जुलाई,2015 के द्वारा पेयजल से सम्बन्धित कार्यों की द्वितीय किश्त के रूप में रू. 1500.44 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। उक्त शासनादेश की शर्त संख्या-4 में टंकण त्रुटिवश उक्त कार्यों के लिये अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन होना अंकित हो गया है। अत: उक्त संदर्भित शासनादेश की शर्त संख्या-4 को निम्नवत पढ़ा जायेगा:-

4- इस शासनादेश से उक्त कार्यों के लिये अनुमोदित लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार उक्त कार्यों की अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक 75 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

इस सीमा तक उक्त संदर्भित शासनादेश संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:260/2015/2042(1)/35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास/नगर विकास।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज ।
8- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज ।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज ।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://gosanadesh.up.nic.in